भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1436**
08.12.2015 को उत्तर के लिए

टीटीजैड हेतु निधियां

1436. श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताज ट्रैपीजियम जोन (टीटीजैड) प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं ;

(ख) **क्या ताज ट्रैपीजियम जोन प्राधिकरण हेतु प्रशासनिक ढांचा टीटीजैड को सौंपें गए कार्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त है** ;

(ग) **यदि नहीं**, **तो इसके क्या कारण हैं** ; **और**

(घ) **क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि टीटीजैड उपयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रही है और यदि हां**, **तो इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं** ?

उत्तर

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री **(**स्वतंत्र प्रभार**)**
(श्री प्रकाश जावडेकर**)**

(क) केंद्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ताज ट्रैपीजियम जोन प्राधिकरण (टीटीजैड) को कोई धनराशि आवंटित/जारी नहीं की गई है ।

(ख) **से** (घ) **आगरा**, **उत्तर प्रदेश में ताजमहल के आस-पास पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु पर्यावरण** (**संरक्षण**) **अधिनियम**,1986 **की धारा** 3 **के अंतर्गत वर्ष** 1999 **में** टीटीजैडए की स्थापना की गई थी और अप्रैल, 2003 में इसमें संशोधन किया गया था । टीटीजेडए को इसके अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 (निदेश से संबंधित) और धारा 19 (अभियोजन से संबंधित) के तहत शक्ति संपन्न बनाया गया है और यह अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है । आगरा प्रभाग के आयुक्त इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और इस कार्यालय में उपलब्ध प्रशासनिक अवसंरचना का उपयोग टीटीजेड के कार्यों को निपटाने के लिए किया जा रहा है ।

****